न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37/2019 **दायर दिनांकः 15/03/2019**

उनवान

1. मुरलीधर आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल।
2. कान्तिबाई आयु 50 वर्ष पुत्री छीतरलाल।
3. सन्तोष आयु 45 वर्ष पुत्री छीतरलाल जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल आयु 80 वर्ष पुत्र बुचीलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल।

आदेश दिनाक : 15/04/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 का रकबा 12.10 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी 2074 से 2077 नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी की पैत्रृक सम्पत्ति है जो वादीगण के दादाजी के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 को पिता बुचीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी कम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी कम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2, का 1/4 यानि कुल रकबे का 1/8 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/8 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी कम 1 से किया तो प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 19.01.2019 को प्रतिवादी कम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की

आराजी 1/8, 1/8 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0सी0सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/8 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/8 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.02.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमें हमें कोई आपत्ति नही हे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 1/8, 1/8 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त प्रकरण का वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 की 12.10 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी की पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 3 का व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा

1/8, 1/8 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश करना चाहते है। राजीनामा निम्न प्रकार है।

ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 की 12.10 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। जिसमें वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/8, 1/8 कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/8, 1/8 का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज कर राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 की 12.10 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते में हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 की 12.10 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 में प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/8—1/8 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, तथा रहन का नोट SBI अटरू दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 37/2019

उनवान

1. मुरलीधर आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल।
2. कान्तिबाई आयु 50 वर्ष पुत्री छीतरलाल।
3. सन्तोष आयु 45 वर्ष पुत्री छीतरलाल जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल आयु 80 वर्ष पुत्र बुचीलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X............... रूबरू..............X.............................

बहाजिर :-

वादीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब की खाता संख्या 71 की कुल किता 7 की 12.10 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 में प्रतिवादी कम 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को 1/8-1/8 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, तथा रहन का नोट SBI अटरू दर्ज किया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.04.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)